फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री जीवनसिंह **बनाम** **विपक्षी :– विजयनाथ वगैरह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 23/23**

जीसीएमएस : 2023/84

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 31.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता किसनसिंह वल्द भेरसिंह उर्फ भेरूसिंह के नाम सहखातेदार हक से दर्ज थी। मौजा वांगरोदा की आराजी नम्बर 424 रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में मौरूस किसनसिंह ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से में से 8 बीघा कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 19.05.1972 को श्री फतेहनाथ पिता पदमनाथ राजपूत को विक्रय की थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा साबिक आराजी नम्बर 403, 405, 406, 424 में मुझ प्रार्थी के पिता श्री किसनसिंह के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से में से 21/92 हिस्सा को भी श्री फतेहनाथ पिता पदमनाथ के नाम उक्त हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड से कम कर दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत भीमल का नामान्तरकरण 55 का अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में विक्रय का नामान्तरकरण से सन् 1977 में खातेदार फतेहनाथ पिता पदमनाथ के नाम दर्ज हुई थी उसके पश्चात इसके वारिस विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 एवं उनके पिता के नाम लगभग 48 वर्ष से खातेदारी अधिकार से चली आ रही है। इस कारण से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतित नही होता है। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि का विक्रय किया हो, विक्रय करने का प्रयास किया हो। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chn Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:13 IST
Reason: SelfAttested